



# HB STOCKHOLDINGS LTD.

Regd. Office : Plot No .31, Echelon Institutional Area, Sector - 32, Gurgaon -122001 (Haryana)  
Ph. : 0124-4675500, Fax : 0124-4370985, E-mail : corporate@hbstockholdings.com  
Website : www.hbstockholdings.com, CIN No. L65929HR1985PLC033936

27<sup>th</sup> June, 2019

<p>The Listing Department Bombay Stock Exchange Limited, Pheroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001 Symbol: 532216</p>	<p>The Vice President National Stock Exchange of India Limited, Exchange Plaza Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai – 400 051 Symbol: HBSL</p>
---	--

**Sub: - Newspaper Advertisement for loss of share certificate**

Dear Sir / Madam,

Please find enclosed herewith the copy of the advertisements related to notice of loss of share certificate published in Business Standard (**both Hindi & English**) on 27<sup>th</sup> June, 2019.

The copy of the said advertisements is also available on the website of the Company, [www.hbstockholdings.com](http://www.hbstockholdings.com).

You are requested to take the above information on record and oblige.

Thanking you,

Yours truly,  
For **HB Stockholdings Limited**

**RACHIT TANDON**  
(Company Secretary & Compliance Officer)

Encl: As Above



audit. Officers should take a liberal approach during first GST audit and educate taxpayers about it," said Raheja.

chartered accountants firms. One way for them is to partner as a member of a local firm. They can also allow their brand name to be used by sub-licens-


spokeswoman for the corporate affairs ministry declined to comment. A government-appointed panel on regulating auditors

ment said it's fully compliant with Indian audit standards, while BSR said it would defend its position in accordance with the law. **BLOOMBERG**

BUSINESS STANDARD, 27<sup>th</sup> June, 2019

## Companies Act, you are to enter liquidation as a r." Anshul Jain, partner, d: "Value maximisation e the underlying objective tire process. If the process ction 230 helps achieve a lue for the asset, the regu-

# rms if lenders okay IBC exit



companies Act, you are to enter liquidation as a r." Anshul Jain, partner, d: "Value maximisation e the underlying objective tire process. If the process ction 230 helps achieve a lue for the asset, the regu-

latory framework should enable it." Fate of several companies is hanging in the balance as defaulting promoters approach the NCLT to settle dues with creditors. In May, the Mumbai Bench of the NCLT had rejected Sterling Biotech's application for withdrawal of insolvency

plea and passed a liquidation order. The Bench had questioned the lenders on accepting a deal from absconding promoters. The NCLAT, however, stayed the liquidation order after an appeal by the banks this month.

Experts feel defaulting promoters might misuse the Companies Act provision to get a backdoor entry into their firms. "The Section 29A of IBC and Section 230 of Companies Act are conflicting in spirit, not in the letters of law. Both laws are working at cross purpose," a legal consultant said. About 99 stressed firms have opted for withdrawal of resolution applications under Section 12A and over 400 have gone for liquidation.

**HB STOCKHOLDINGS LIMITED**  
CIN : L65929HR1985PLC033936  
Regd. Off. : Plot No. 31, Echelon Institutional Area, Sector 32, Gurugram-122001, Haryana  
Ph. : + 91-124-4675500  
Fax No. : + 91-124-4370985  
E-mail : corporate@hbstockholdings.com,  
Website : www.hbstockholdings.com

### NOTICE

Notice is hereby given that Mrs. Prabha Jhamb, Shareholder of the Company has requested for issuance of Duplicate Share Certificate for 45 Equity Shares of Rs. 10/- each in lieu of lost/misplaced Original Share Certificate No. 425267 having Distinctive Nos. 33705120 to 33705164.

The Company shall proceed to issue Duplicate Share Certificate in favour of the above named Shareholder, if no objection is received within 15 days from date of publication of this Notice.

For HB Stockholdings Limited

Sd/-

RACHIT TANDON

Date : 26.06.2019 (Company Secretary)  
Place : Gurugram M. No.: ACS-30169

## Centre revises solar tender specifications

SHREYA JAI  
New Delhi, 26 June

More than a year and 10 extensions later, the Union government has revised the tender specifications for the first solar manufacturing-linked power plant project in the country.

Hoping to attract more investor interest, the tariff cap has been set at ₹2.75/unit.

Solar Energy Corporation India (SECI) on Tuesday issued a request for a selection (RfS) notice for selecting solar power developers.

This will be for setting up 6 GW (per annum) of solar power plants linked to 2GW of solar manufacturing plant.

A bidder can quote any capacity up to 1.5 GW of solar power projects linked to 0.5 GW of solar manufacturing capacity, corresponding to one project. A total of four such projects have been put up for bidding. A company can bid for one or all four.

In an interesting amendment introduced in the new RfS, SECI has allowed using imported solar modules at the power plant and not necessarily the ones manufactured at the linked unit set up by the

company.

Earlier, this was mandatory. "The solar power developers or SPDs would be allowed to set up a solar power plant parallelly with a manufacturing facility, that is, the mandatory requirement of using self-produced modules in the plants under this scheme will not be there. This can be set up either through imported modules or through modules made by the manufacturing unit being set up by the bidder or through any other domestic module," said the RfS document reviewed by *Business Standard*.

Another addition in the tender is regarding manufacturing, wherein the companies can submit a bid for setting up manufacturing units for ingots and wafers as well as solar cells and modules.

Ingots and wafers are key components in the making of solar cells. The module is a collection of solar cells and panels are the single power producing unit.

The tender, however, has not included the long-awaited demand of the industry to include the existing solar manufacturing units.

**www.bankofbaroda.in**

**REQUEST FOR PROPOSAL**

Bank of Baroda invites responses to RFP for Supply, Implementation and Maintenance of File Integrity Monitoring (FIM) Solution.

Details are available under 'Tenders section' on Bank's website: [www.bankofbaroda.in](http://www.bankofbaroda.in)

Addendum, if any shall be issued on Bank's website under 'Tenders section'. Bidder should refer to same before final submission of the proposal.

**RFP Reference No : BCC:CISO:68:111:227 Date : 27<sup>th</sup> June 2019**  
**Last date for submission of RFP Response – up to 14:30 hrs IST 22<sup>nd</sup> July 2019**

**Place: Mumbai** **General Manager &**  
**Date: 27.06.2019** **Chief Information Security Officer**

**ONGC Petro additions Limited**

4th Floor, 35, Nutan Bharat Society, Alkapuri, Vadodara, Gujarat - 390007.  
Ph.: 0265 6192600, Fax: 0265-6192666, CIN No.: U23209GJ2006PLC060282

**OPAL**

**OPaL invites the sealed tender under Two Bid System for following:**  
**Tender Number:1907C00338 Tender Description:** Procurement of Methanol for OPaL Dahej Complex **Tender sale period:** 27.06. 2019 to 18. 07. 2019 till 14:00 Hrs. **Closing date and time for Bid Submission:**18. 07. 2019 till 14:00 Hrs. **Date & Time for opening of techno commercial bid:** 18.07.2019 @ 15:00 Hrs.

**Tender Number:** 1904C00381 **Tender Description:** Rate Contract for A4 & A3 Copier Paper at OPaL, Dahej and OPaL Vadodara location **Tender sale period:** 27.06.2019 to 18.07.2019 till 14:00 Hrs. **Closing date and time for Bid:** 18.07.2019 at 14:00Hrs.

The tender document can be downloaded from [www.opalindia.in](http://www.opalindia.in). For other details of this tender including corrigendum if any, Bidders should regularly visit OPaL website ([www.opalindia.in](http://www.opalindia.in)) for the latest information in this regard. In case of exigencies OPaL at its option may decide to extend tender sale/ bid closing/ opening date/ time in future, which will be posted on the above referred website for information. Bidders should regularly visit OPaL website for the latest information in this regard.



राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष  
कम्पनी याचिका (सीएए) सं. 80 (पीबी) / 2019  
कम्पनी आवेदन सीए (सीएए) 48 (पीबी) / 2019  
के साथ संबन्धित  
कम्पनी अधिनियम, 2013 के मामले में  
तथा  
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 और अन्य संबद्ध प्रावधानों के मामले में  
तथा  
निम्नलिखित के बीच व्यवस्था की स्कीम के मामले में

सनराइज टेलीवेन्चर्स प्राइवेट लिमिटेड  
कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय ए-60, नारायण  
इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110028 में स्थित है .....याचिकादाता-1 / अंतरणकर्ता कम्पनी-1  
निगम इन्वोफिन ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड  
कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 258, ओखला  
इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-3, नई दिल्ली-110020 में स्थित है .....याचिकादाता-2 / अंतरणकर्ता कम्पनी-2  
नेहा इन्वोफिन ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड  
कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 258, ओखला  
इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-3, नई दिल्ली-110020 में स्थित है .....याचिकादाता-3 / अंतरणकर्ता कम्पनी-3  
उदित इन्वोफिन ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड  
कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 258, ओखला  
इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-3, नई दिल्ली-110020 में स्थित है .....याचिकादाता-4 / अंतरिती कम्पनी

**याचिका की सूचना**  
उपरोक्त नामक याचिकादाताओं द्वारा सनराइज टेलीवेन्चर्स प्राइवेट लिमिटेड (अंतरणकर्ता कम्पनी-1), निगम  
इन्वोफिन ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड (अंतरणकर्ता कम्पनी-2) तथा नेहा इन्वोफिन ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड (अंतरणकर्ता  
कम्पनी-3) का उदित इन्वोफिन ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड (अंतरिती कम्पनी) के साथ व्यवस्था की स्कीम की मंजूरी  
प्राप्त करने के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के तहत एक याचिका संयुक्त रूप से 21 मई,  
2019 को प्रस्तुत की गई थी और उक्त याचिका की सुनवाई माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण की पीठ  
के समक्ष 31 जुलाई, 2019 को की जानी नियत की गई है।  
कोई भी व्यक्ति, जो उक्त याचिका के समर्थन अथवा विरोध का इच्छुक है, अपने आशय की सूचना, जो उसके अपने  
स्वयं के अथवा उसके अधिवक्ता के नाम और पता सहित हस्ताक्षरित हो, याचिकादाता के अधिवक्ता को भेज  
सकता है, जो याचिकादाता के अधिवक्ता को याचिका की सुनवाई हेतु नियत तिथि से कम से कम दो दिन पूर्व प्राप्त  
हो जानी चाहिए। यदि वह याचिका का विरोध करने का इच्छुक है तो विरोध के आधार अथवा एक शपथपत्र ऐसी  
सूचना के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। याचिका की प्रति प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को यह प्रति  
असोहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध कराई जाएगी।

हस्ता./-  
अधिवक्ता रवि शर्मा  
(याचिकादाताओं हेतु अधिवक्ता)

दिनांकित 27 जून, 2019 11-ए, सुरेता भवन, विष्णु दिगम्बर मार्ग, नई दिल्ली-110002

**परिशिष्ट IV**  
देखें नियम 8(1)  
कम्पनी सूचना  
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,  
इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत  
अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिव्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्सियल असेट्स एंड  
एन्कोसमेंट ऑफ सिव्योरिटी इंस्ट्रेट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ  
सिव्योरिटी इंस्ट्रेट (एन्कोसमेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढते हुए प्राप्त अधिकारों का  
उपयोग करके कर्जदार सौरभ पालावत सहभागी श्री नाकोडा इंडस्ट्रीज, विनीता सहभागी श्री नाकोडा  
इंडस्ट्रीज और श्री नाकोडा इंडस्ट्रीज उनके सहभागी के द्वारा को 23.08.2018 की सूचना में वर्णन के  
अनुसार कर्ज खाता नं. HHEALW00375576 की राशि रु. 19,71,325 /- (रुपय उन्नीस लाख इकहतर  
हजार तीन सौ पच्चीस मात्र) और 23.08.2018 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ति की  
तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभिप्राय सूचना जारी की थी।  
धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य  
जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप धारा 4 के साथ  
उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिव्योरिटी इंस्ट्रेट (एन्कोसमेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त  
अधिकारों का कार्यान्वयन करके 24.06.2019 को संपत्ति पर आधिपत्य कर लिया है।  
विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतद्वारा संपत्ति के साथ सौदा  
नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशी  
रु. 19,71,325 /-(रुपय उन्नीस लाख इकहतर हजार तीन सौ पच्चीस मात्र) 23.08.2018 के  
अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के अधीन होगा।  
उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के अन्तर्गत  
संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त करने के लिए उपलब्ध समय की ओर आन्वित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

रेसिडेंशियल जगह प्लॉट नं. 101 सुपर बिल्ड अप एरिया मापित 1588.5 स्क्.फीट जो 176.5  
स्क्.यार्ड्स के बराबर बिना रूफ राईट्स के पहली मंजिल में प्लॉट नं. 346, शांतीकुंज,  
अलवर - 301001, राजस्थान पार्किंग जगह के साथ.।

उक्त संपत्ति निम्ननुसार परिबद्ध है:

पूर्व : 30 फीट चौड़ा मार्ग पश्चिम : खुली जगह  
उत्तर : प्लॉट नं. 347 दक्षिण : प्लॉट नं. 345

सही/  
दिनांक : 24.06.2019 प्राधिकृत अधिकारी  
स्थान : अलवर इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

## 4 विविध समाचार

### राष्ट्र हित पर कारोबारी वार्ता को तरजीह नहीं

केंद्र सरकार ने अमेरिका द्वारा भारत से निर्यात लाभों को वापस लेने में एकतरफा कदम उठाने का उल्लेख करते हुए बुधवार को कहा कि वह राष्ट्र हित के मुद्दे से ऊपर कारोबारी वार्ता को तरजीह नहीं देगी। लोकसभा में प्रश्न काल के दौरान पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि हमारा मानना है कि जनरलाइज्ड सिस्टम आफ प्रेफरेंसेज लाभ वापस लेने के अमेरिका का फैसला जीएटीटी और डब्ल्यूटीओ के मानकों के मुताबिक नहीं है। *एजेंसिया*

### सेज कानून में संशोधन लोकसभा में पारित

ट्रस्टों को विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) में इकाइयां स्थापित करने की अनुमति देने के लिए सेज कानून में संशोधन लोकसभा में बुधवार को पारित हो गया। विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) विधेयक 2019 पहला कानून है, जिसे 17वीं लोकसभा में पारित किया गया है। *एजेंसिया*

### आईबीसी से बाहर हो

## चूक क

रुचिका चित्रवंशी  
नई दिल्ली, 26 जून

ऋणशोधन अक्षमता एवं रि संहिता (आईबीसी) के से बाहर होने की स्थिति दिवाला कंपनियों के प्रवर्तक कंपन परिसमापन प्रक्रिया में हिस्सा ले सक बिजनेस स्टैंडर्ड को एक वरिष्ठ स अधिकारी ने यह जानकारी दी।

ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवाला की धारा 29 ए के प्रावधानों के मुताबिक निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) को संप्रक्रिया में डाल दिया जाता है तो उस के प्रवर्तकों सहित कंपनी को संप्रक्रिया में आवेदक होने की अनुमति होती। बहरहाल अगर कंपनी अधिनियम धारा 230 के तहत समाधान होता चूककर्ता उस प्रक्रिया में हिस्सा ले है। यह प्रावधान तभी लागू होगा, अगर के दिवाला समाधान आवेदन को 90 प्र कर्जदाताओं की सहमति के साथ आ की धारा 12 एक के तहत वापस ले गया हो।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, स्थिति नहीं हो सकती कि आप पूरी को धत्ता बता रहे हों और गलत तरी लाभ पा रहे हों। लेकिन अगर ऐसी आती है, जब कुछ बेहतर हो सकता कर्ज देने वाले 90 प्रतिशत आम सहम फैसला करते हैं तब आप आईबीसी गए प्रावधान से बाहर आ सकते हैं।

## निवेशकों को सौर निविदा

श्रेया जय  
नई दिल्ली, 26 जून

एक साल से अधिक समय लेने और 10 बार समय सीमा बढ़ाने के बाद अब केंद्र सरकार ने देश में सौर उत्पादन से जुड़े पहले बिजली संयंत्र परियोजना के लिए निविदा विनिर्देशों में संशोधन किया है। सरकार को इससे और एक

**एचबी स्टॉकहोल्डिंग्स लिमिटेड**  
CIN : L65929HR1985PLC033936  
पंजी. कार्या. : प्लॉट नं. 31, एशालॉन इन्स्टिट्यूशनल एरिया, सैक्टर-32, गुरुग्राम-122001, हरियाणा  
फोन : +91-124-4675500  
फैक्स नं. : +91-124-4370985  
ई-मेल : corporate@hbstockholdings.com, वेबसाइट : www.hbstockholdings.com

**सूचना**  
एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी की शेयरधारक श्रीमती प्रभा श्याम ने अनुरोध किया है कि मूल शेयर प्रमाणपत्र सं. 425267 विशिष्ट सं. 33705120 से 33705164 जो कि खो गए/गुम हो गए उनके स्थान पर रु. 10/- प्रत्येक के 45 इक्विटी शेयरों हेतु डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी किए जाए।  
यदि इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो कम्पनी उपरोक्त नामक शेयरधारक के पक्ष में डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने हेतु कार्यवाही करेगी।  
कृते एचबी स्टॉकहोल्डिंग्स लिमिटेड  
हस्ता./-  
रविल टंडन  
(कम्पनी सचिव)  
तिथि : 26.06.2019  
स्थान : गुरुग्राम M. No.: ACS-30169

**एचबी एस्टेट डवलपर्स लिमिटेड**  
CIN : L99999HR1994PLC034146  
पंजी. कार्या. : प्लॉट नं. 31, एशालॉन इन्स्टिट्यूशनल एरिया, सैक्टर-32, गुरुग्राम-122001, हरियाणा  
फोन : +91-124-4675500  
फैक्स नं. : +91-124-4370985

**ROTO PUMPS LTD.**  
Regd. Off.: Roto House, Noida Special Economic Zone, Noida - 201305  
CIN: L28991UP1975PLC004152  
Tel.: +91 120 2567902-05, Fax: +91 120 2567911  
Email: investors@rotopumps.com Website: www.rotopumps.com

**NOTICE TO EQUITY SHAREHOLDERS**  
Sub: Transfer of equity shares to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account  
This Notice is published pursuant to the provisions of Investor Education and